

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 17/2021 राजस्व अपील

1. घासी } पुत्रान नोरत्या जाति बैरवा निवासी ग्राम गढ तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. मगन }

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 21.08.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम

घासी मुकदमा संख्या 81/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री सुरेश बंशीवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 16.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के विरुद्ध पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई की अपीलान्ट ने ग्राम गढ स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 0.02 है. किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना कोई सुनवाई व सबूत का अवसर दिये निर्णय दिनांक 21.08.2018 पारित कर अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास, बेदखली व पेनल्टी से दण्डित कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 21.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम गढ स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 0.02 है. किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर से अपीलान्ट शपथकर्ता ने अपना कब्जा हटा लिया है। उक्त भूमि पर वर्तमान में अपीलान्ट शपथकर्ता का कोई कब्जा नहीं है। ना ही अपीलान्ट शपथकर्ता भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा करेगा। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने ग्राम गढ स्थित गैर मुमकिन रास्ते की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 0.02 है. पर तारबन्दी व डोल लगाकर कब्जा कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा ग्राम गढ स्थित गैर मुमकिन रास्ते की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 0.02 है. पर से अपना कब्जा हटा लिया जाना, उक्त भूमि पर वर्तमान में अपीलान्ट का कब्जा नहीं होना तथा भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा नहीं किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम गढ तहसील बहरावण्डा में स्थित गैर मुमकिन रास्ते की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 0.02 है. पर कब्जा नहीं होने बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 21.08.2018 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।



सत्यमेव जयते

निर्णय

अंश

दिनांक 16.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से

खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा

(सुरेश कुमार)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा